परिपत्र संख्या 05/2013

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(38)जन/2013/7493 दिनांकः 18.04.13

–:: परिपत्र ::–

विषय : खनन लीज हस्तान्तरण के दस्तावेज का मूल्यांकन करने के संबंध में।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 5/2011 क्रमांक एफ.7(109)जन/कार्यशाला/11/8727 दिनांक 31.03.2011 के क्लॉज–33.0 में यह स्पष्ट किया गया था कि "खनन लीज का हस्तान्तरण पट्टाग्रहिता (लेसी) द्वारा लीज की शेष अवधि के लिये अपने लीज होल्ड राईट्स का हस्तान्तरण अन्य व्यक्ति को सीधे करने पर जो दस्तावेज निष्पादित होगा, वह राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2(xi) के अन्तर्गत 'कन्वेन्स' की परिभाषा में आयेगा तथा उस पर अनुसूची के अनुच्छेद–21 के तहत बाजार मूल्य पर वर्तमान में प्रचलित 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।"

खनन लीज हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर/96–42 दिनांक 24.08.2007 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस अधिसूचना के क्लॉज–2 के अनुसार खनन लीज के हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराया (डेडरेन्ट) की दो गुना राशि, प्रतिभूति की राशि, हस्तान्तरण शुल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत तथा अन्य विविध व्ययों को जोड़कर प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर देय है।

राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प.2(18)वित्त/कर/96 दिनांक 15.04.13 से दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 5/2011 क्रमांक एफ.7(109)जन/कार्यशाला/11/8727 दिनांक 31.03.2011 के क्लॉज–33.0 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उक्त क्लॉज राजस्थान गौण (अप्रधान) खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम–15 के प्रावधानों से असंगत है।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन में प्राप्त निर्देशों की पालना में विभाग के परिपत्र संख्या संख्या 5/2011 क्रमांक एफ.7(109)जन/कार्यशाला/11/8727 दिनांक 31.03.2011 के क्लॉज–33.0 को विड्रॉ किया जाता है। भविष्य में खनन लीज हस्तान्तरण के दस्तावेजों का मूल्यांकन उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 24.08.2007 के बिन्दु संख्या–2 को ध्यान में रखते हुए करें।

(हस्ताक्षर) 18/4/13
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

क्रमांकः एफ–7(38)जन/2013/7494–7943 दिनांकः 18.04.13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2– समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।

3- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त-भवन, जयपुर ।
6- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10- समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को पालनार्थ।
11- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13- उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
14- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15- निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर